कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय
काम्पलेक्स (बी) ब्लाक, गौतम नगर, भोपाल–23

निजी क्षेत्र में कस्टम हायरिंग केन्द्र स्थापित करने की योजना

आवेदन की प्रकिया –

1. चयन प्रकिया निम्नानुसार होगी – प्रत्येक जिले में 10 कस्टम हायरिंग केन्द्र (सामान्य के 8 अनुसूचित जाति के 1 एवं अनुसूचित जनजाति के 1) स्थापित किये जाने का लक्ष्य है। अतः कुल 510 कस्टम हायरिंग केन्द्रों (सामान्य के 408, अनुसूचित जाति के 51 तथा अनुसूचित जनजाति के 51 के लक्ष्य) हेतु आवेदन आमंत्रित किये जा रहे हैं। लक्ष्यों को कम करने अथवा बढ़ाने के अधिकार संचालक कृषि अभियांत्रिकी को होंगें। योजनांतर्गत प्राप्त आवेदन इसी वित्तीय वर्ष (2017–18) हेतु वैद्य रहेंगें। ऑनलाईन आवेदन के साथ धरोहर राशि के बैंक ड्राफ्ट की स्केन प्रति अपलोड की जाना होगी। बैंक ड्राफ्ट नीचे बिन्दु कमांक 2 में दी गई सूची में उल्लेखित कृषि यंत्री/कार्यपालन यंत्री के नाम से बनाया जाना होगा। बैंकड्राफ्ट की मूल प्रति अभिलेखों के सत्यापन के समय संबंधित कार्यालय में जमा करायी जानी अनिवार्य होगी।

1.	आवेदन करने की अवधि	–	दिनांक 12 अप्रेल 2017 से 30 अप्रेल 2017 तक एम.पी.ऑन लाईन पोर्टल के माध्यम से
2.	जिलेवार आवेदकों के मूल अभिलेखों का सत्यापन एवं बैंक ड्राफ्ट जमा करने की अवधि	–	दिनांक 3 मई 2017 से 6 मई 2017 तक प्रातः 10:30 से सायं 5:30 तक
3.	जिलेवार प्राथमिकता सूचियों का लॉटरी पद्धति से निर्धारण	–	दिनांक 9 मई 2017 को दोपहर 12.00 बजे से जिलों से संबंधित कृषि यंत्री/कार्यपालन यंत्री कार्यालयों में। (लॉटरी से जिलेवार निर्धारित की गई प्राथमिकता सूचियां एम.पी.ऑनलाईन पोर्टल पर 12 मई 2017 से देखी जा सकेंगी।)

2. जिलों से संबंधित संभागीय कृषि यंत्री/कार्यपालन यंत्री कार्यालयों के विवरण –

कमांक	आवेदन का जिला	अधिकारी जिसके नाम धरोहर राशि का बैंक ड्राफ्ट बनाया जाना है।	संभागीय कृषि यंत्री कार्यालय का पता तथा दूरभाष कंमाक
1	भोपाल संभाग एवं नर्मदापुरम संभाग के सभी जिले।	''कृषि यंत्री, भोपाल''	संभागीय कृषि यंत्री, जेल रोड, ग्राम–बड़वई भोपाल, दूरभाष – 0755–2736200
2	इन्दौर संभाग एवं उज्जैन संभाग के सभी जिले।	''कृषि यंत्री, इन्दौर''	संभागीय कृषि यंत्री,303 सेटेलाईट बिल्डिंग, जिला प्रशासनिक संकुल, कलेक्ट्रेट भवन, इन्दौर दूरभाष – 0731–2368440
3	रीवा संभाग एवं शहडोल संभाग के सभी जिले।	''कृषि यंत्री, सतना''	संभागीय कृषि यंत्री, सिविल लाईन, सतना, दूरभाष – 07672–222223
4	जबलपुर संभाग के सभी जिले।	''कृषि यंत्री, जबलपुर''	संभागीय कृषि यंत्री, संजय नगर, आधारताल, जबलपुर दूरभाष –0761–2680928

5	सागर संभाग के सभी जिले।	''कार्यपालन यंत्री, सागर''	संभागीय कार्यपालन यंत्री, वृंदावन बाग ट्रस्ट, गोपालगंज, सागर दूरभाष – 07582–241554
6	ग्वालियर संभाग एवं चंबल संभाग के सभी जिले।	''कृषि यंत्री, ग्वालियर''	संभागीय कृषि यंत्री, मेला ग्राउंड के सामने, ग्वालियर, दूरभाष – 0751–2364595

3. योजनांतर्गत एक ग्राम तथा एक परिवार में केवल एक ही कस्टम हायरिंग केन्द्र दिये जाने का प्रावधान है अतः जिन ग्रामों में पूर्व में केन्द्र स्थापित हो चुके है वहां के लिये आवेदन प्रस्तुत न किये जाये। ग्रामों के संबंध में अंतिम निर्णय संबधित कृषि यंत्री कार्यालय द्वारा अभिलेखों के सत्यापन के समय लिया जायेगा।
4. अभिलेखों का सत्यापन आवेदक द्वारा आवेदित जिले से संबंधित कृषि यंत्री कार्यालय में 3 मई से 6 मई 2017 तक कार्यालयीन दिवसों में प्रातः 10:30 बजे से शाम 5.30 बजे तक किया जायेगा। सत्यापन के दौरान आवेदक को ऑनलाईन आवेदन के समय अपलोड किये गये मूल बैंक ड्राफ्ट को कार्यालय में जमा कराया जाना होगा। इसके साथ ही आवेदन के साथ प्रस्तुत किये गये मूल अभिलेख जैसे फोटो पहचान पत्र, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र अथवा हाई स्कूल अंकसूची, जाति प्रमाण–पत्र(केवल अनु.जाति एवं ज.जाति के आवेदकों हेतु), निवास प्रमाण–पत्र (मतदाता परिचय पत्र, आधार कार्ड) अथवा ऋण पुस्तिका, स्नातक अंकसूची सत्यापन हेतु प्रस्तुत किये जाने होंगें। अभिलेख अथवा बैंक ड्रॉफ्ट जमा न कराये जाने की स्थिति में आवेदन निरस्त किया जाकर प्राथमिकता सूची के निर्धारण की लाटरी प्रक्रिया से पृथक कर दिया जायेगा।
5. योजना के अंतर्गत उपयुक्त पाये गये आवेदकों की धरोहर राशि केन्द्र स्थापित होने पर भौतिक सत्यापन उपरांत लौटाई जा सकेगी, किंतु यदि आवेदक केन्द्र स्थापित करने में रूचि नहीं लेता है एवं असफल रहता है तो धरोहर राशि शासन द्वारा राजसात कर ली जायेगी। आवेदक को यदि बैंक ऋण स्वीकृत करने में असहमति व्यक्त करता है तो इस स्थिति में भी धरोहर राशि लौटाई नही जायेगी।
6. जिले हेतु उपयुक्त पाये गये ऑनलाईन आवेदनों की प्राथमिकता सूचियों का निर्धारण संबंधित संभाग के कृषि यंत्री/कार्यपालन यंत्री कार्यालय में उपरोक्तानुसार निर्धारित दिनांक/दिनांकों को किया जायेगा। सूचियो में प्राथमिकता का निर्धारण लॉटरी के आधार पर किया जायेगा। लॉटरी निकालने का कार्य सबके समक्ष किया जावेगा अतः यदि कोई आवेदक उस प्रक्रिया के दौरान उपस्थित रहना चाहे तो उक्त दिनांक को कृषि यंत्री/कार्यपालन यंत्री कार्यालय में उपस्थित रह सकता है। इस प्रकार निर्धारित प्राथमिकता सूचियों अनुसार ही आवेदकों को जिले के लक्ष्य अनुसार केन्द्र स्थापित करने हेतु सहायता दी जायेगी।
7. प्रत्येक जिले हेतु प्राप्त श्रेणीवार (कृषि संकाय स्नातक, सामान्य, अनु.जाति तथा अनु.जनजाति) उपयुक्त आवेदनों से श्रेणीवार प्राथमिकता सूचियॉ तैयार की जायेगी। योजना के प्रावधान अनुसार मान्यता प्राप्त कृषि विश्वविद्यालय से कृषि, उद्यानिकी तथा कृषि अभियांत्रिकी के स्नातकों को केन्द्र स्थापना हेतु जिले हेतु निर्धारित लक्ष्यों के 30 प्रतिशत अधिकतम 3 केन्द्रों तक ही प्राथमिकता दी जायेगी। लाभ हेतु चयनित कृषि संकाय स्नातको की संख्या अनुसार सामान्य, अनु.जाति तथा अनु. जनजाति के लक्ष्य कम किये जावेगे।
8. संभाग में लॉटरी से चयनित आवेदकों को दिनांक 15 मई 2017 को कृषि यंत्री /कार्यपालन यंत्री के संभागीय मुख्यालय पर प्रोजेक्ट निर्धारण संबंधित एक दिवसीय मार्गदर्शी शिविर का आयोजन किया जायेगा।
9. लॉटरी से चयनित आवेदकों को अपने प्रोजेक्ट संबंधित कृषि यंत्री /कार्यपालन यंत्री कार्यालय में प्रस्तुत किये जाने होंगें। जिले हेतु निर्धारित लक्ष्यों को दृष्टिगत रखते हुये कृषि

यंत्री/कार्यपालन यंत्री द्वारा प्रोजेक्टों को परीक्षण उपरांत आवेदक द्वारा चाहे गये बैंकों को अग्रेषित किये जायेंगें। आवेदकों को बैंकों से ऋण स्वीकृतिएवं मार्जिन मनी जमा होने की सूचना कार्यालय द्वारा प्रोजेक्ट भेजने की तिथि के एक माह के अंदर कृषि यंत्री/कार्यपालन यंत्री कार्यालय में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगी। निर्धारित समयावधि में प्रकरण की स्वीकृति की सूचना बैंक से प्राप्त न होने की स्थिति में प्रकरण निरस्त किया जा सकेगा। बैंक में मार्जिन मनी जमा होने के उपरांत हितग्राही को शासकीय व्यय पर प्रशिक्षण दिलाया जायेगा। प्रशिक्षण में एक बार चयन होने के उपरांत आवेदक को अनिवार्य रूप से प्रशिक्षण केन्द्र पर उपस्थित होना होगा अन्यथा आवेदन को निरस्त किया जा सकेगा। महिला आवेदकों को भी प्रशिक्षण में स्वयं उपस्थित होना होगा, उनके परिवार के किसी अन्य सदस्य के लिये पृथक से कोई व्यवस्था नहीं की जायेगी। प्रशिक्षण उपरांत बैंकों से अंतिम ऋण स्वीकृति **(Final senction order)** आदेश प्राप्त होने पर बैंक को *"क्रेडिट लिंक्ड बैक एन्डेड* सबसिडी **(Credit Linked Back Ended Subsidy)**[1]" के रूप में शासन अनुदान का भुगतान किया जायेगा। अनुदान बैंक को दिये जाने के एक माह की अवधि में केन्द्र की स्थापना आवेदक को अनिवार्य रूप से करनी होगी अन्यथा अनुदान राशि बैंक से वापस प्राप्त कर ली जायेगी।

10. प्रत्येक आवेदन हेतु एम.पी.ऑनलाईन की (पोर्टल फीस रू 200+सर्विस शुल्क 15 प्रतिशत) कुल फीस रू. 230 निर्धारित है।

---

1 *(क्रेडिट लिंक्ड बैक एन्डेड सबसिडी से तात्पर्य यह है कि शासन द्वारा अनुदान बैंक को दिया जायेगा। अनुदान का समायोजन हितग्राही द्वारा बैंक के ऋण को पूर्ण रूप से चुकाने के बाद हितग्राही के खाते में किया जावेगा। इस अनुदान राशि एवं मार्जिन मनी को कुल प्रोजेक्ट राशि से घटाने के उपरांत बची शेष राशि पर ही बैंक द्वारा ब्याज लिया जायेगा। हितग्राही द्वारा बैंक ऋण वापस न करने की स्थिति में (डिफाल्टर घोषित होने पर) अनुदान राशि उसे नहीं दी जायेगी तथा इस राशि को भी ऋण मानते हुये बैंकों द्वारा पूरी राशि की वसूली हितग्राही से की जायेगी।)*